### HARYANA GOVERNMENT ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

#### Notification

The 29<sup>th</sup> December, 2005

No.5/4/2005-1AR. – In exercise of the powers conferred by subsection(4) of section 24 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) the Governor of Haryana hereby specifies the intelligence and security organizations as mentioned in the schedule given below for the purpose of the said sub-section:-

#### SCHEDULE

- (I) State Criminal Investigation Department (C.I.D.); including the Crime Branch
- (ii) Haryana Armed Police;
- (iii) Security Organizations of Police;
- (iv) Haryana Police Telecommunication Organization;
- (v) India Reserve Battalion;
- (vi) Commando.

S.C.CHOUDHARY
Financial Commissioner & Principal Secretary to
Govt. Haryana, Administrative Reforms Department

## हरियाणा सरकार प्र गासनिक सुधार विभाग

# अधिसूचना

### दिनांक 29 दिसम्बर, 2005

संख्याः 5/4/2005—1ए.आर.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(2005 का केंद्रीय अधिनियम 22), की धारा 24 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उक्त उप—धारा के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथा वर्णित सतर्कता तथा सुरक्षा संगठनो को विनिर्दिश्ट करते हैं:—

## अनुसूची

- (i) राज्य आपराधिक गुप्तचर विभाग (सी.आई.डी) जिसमें अपराध भााखा भाामिल है;
- (ii) हरियाणा स ास्त्र पुलिस;
- (iii) पुलिस के सुरक्षा संगठन;
- (iv) हरियाणा पुलिस दूरसंचार संगठन;
- (v) भारतीय रिर्जव बटालियन;
- (vi) कमांडो

एस.सी चौधरी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, प्र ाासनिक सुधार विभाग।